उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

अग्रिम अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 114/ 2023

रामरतन धलिया ..... आवेदक

बनाम

उत्तराखंड राज्य .....प्रत्यर्थी

उपस्थित:

श्री गौरव सिंह, आवेदक के अधिवक्ता।

श्री विपुल पेनुली, राज्य के लिए संक्षिप्त धारक।

माननीय रविन्द्र मैठाणी, न्यायाधीश (मौखिक)

आवेदक रामरतन ढालिया ने मुकदमा अपराध संख्या 169/2023, आईपीसी की धारा 406 के तहत, पुलिस स्टेशन कोतवाली हरिद्वार, जिला हरिद्वार में अग्रिम जमानत मांगी है।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, एक सोसायटी के अध्यक्ष होने के नाते, आवेदक ने भारी राशि का दुरुपयोग किया, जिसका खुलासा जांच में हुआ । यह दुर्विनियोजन 1985 से किया जा रहा था।

4. आवेदक के विद्वान वकील का कहना था कि वास्तव में, जांच से यह स्थापित नहीं हुआ कि ऐसा कोई ग़बन किया गया था।आवेदक का यह भी मामला है कि पूछताछ के दौरान उसे कभी बुलाया ही नहीं गया।उनका कहना था कि जब आवेदक चुनाव जीत गये, तो झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

5. विद्वान राज्य वकील का कहना था कि आवेदक सोसायटी का अध्यक्ष और संरक्षक था और जांच में यह पाया गया कि उसने राशि का गबन किया है।

6. न्यायालय राज्य के विद्वान वकील से जानना चाहती हैं कि क्या आवेदक को कभी जांच का नोटिस दिया था? उनका कहना था कि आवेदक को किसी भी पूछताछ के बारे में सूचित नहीं किया गया था । जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है।

7. विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें आवेदक को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। तत्काल अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

9. गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को जांच अधिकारी ("आईओ") की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो जमानतदारों के साथ एक व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आवेदक निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करेगाः

(i) आवेदक जाँच में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक किसी भी तरह से किसी भी गवाह/पीड़ित से संपर्क नहीं करेगा।

(iii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

(iv) आवेदक अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी ("आई. ओ".) के पास जमा करेगा। पासपोर्ट मात्र संबंधित अदालत के आदेश से ही वापस किया जा सकता है। यदि आवेदक के पास पासपोर्ट नहीं है, तो वह आई. ओ. को इस संबंध में एक वचन पत्र देगा।

(v) आवेदक उपरोक्त (i), (ii) और (iii) पर भी एक वचन पत्र देगा।

(रवींद्र मैठाणी, जे.)
20.11.2023

रवि बिष्ट